

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

पत्रांक ३१९ /वन भूमि  
सेवा में,

अल्मोड़ा दिनांक 6 मार्च 2023

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद बागेश्वर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं 309 ए 0 के कि०मी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग—चकोड़ी—काण्डा—बागेश्वर—ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित अवनत आरक्षित भूमि के उपलब्ध निर्देशांकों के अनुसार डिजिटल एवं जियो रैफरैस मानचित्र तैयार करवाकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 5—5 प्रतियों में(कुल30नग)।

भवदीय,

पत्रांक /वन भूमि

तददिनांकित

अधिशासी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,  
रानीखेत।

प्रतिलिपि— सहायक अभियन्ता(तृतीय), राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,  
रानीखेत।